रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 4—सितम्बर 10, 2005, शनिवार/भाद्र 13—भाद्र 19, 1927

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 4—SEPTEMBER 10, 2005, SATURDAY/BHADRA 13—BHADRA 19, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 300.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और भारत के पदेन जनगणना आयुक्त और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 1986, का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित सभी जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में स्टाफ कार ड्राईवर स्पेशल ग्रेड, स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I, स्टाफ कार ड्राईवर-II तथा स्टाफ कार ड्राईवर सामान्य ग्रेड के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 होगा।

2. **लागू होना :**—ये नियम उन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन अथवा अचयन पद है
1	2	3	4	5
1. स्टाफ कार ड्राईवर विशेष ग्रेड	2* (2005) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000–150–8000 रुपये	अचयन पद

क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
6	7	8
नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भीर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है ?	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) अथवा अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
2. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I	15* (2005) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125-7000 रुपये	अचयन पद

6	7	8
नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) अथवा अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
3. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II	12* (2005) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-6000 रुपये	अचयन पद

101

6	7	8
नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9	10	11	12
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति	**प्रोन्नति :** ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित स्टाफ कार ड्राईवर सामान्य ग्रेड

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) अथवा अवर सचिव (प्रशासन) —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं।

1	2	3	4	5
4. स्टाफ कार ड्राईवर सामान्य ग्रेड	12* (2005) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80 4590 रुपये	लागू नहीं

6	7	8
नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य आवेदकों की स्थिति में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिलनीय)। **टिप्पणी 1.**—आयु-सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र अथवा संघ शासित	**अनिवार्य :** (1) मोटर कार चलाने का वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस हो। (2) मोटर गाड़ी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए (अभ्यर्थी को वाहन की मामूली खराबी ठीक करनी आती हो) (3) मोटर चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** आठवीं कक्षा पास।

7
क्षेत्र लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर)। **टिप्पणी 2.** रोजगार कार्यालय के आवेदकों की आयु के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

9	10	11	12
लागू नहीं	दो वर्ष (सीधी भर्ती वालों के लिए)	प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा, जिसके द्वारा न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** स्टाफ कार चालकों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मानकों के संदर्भ में ड्राईविंग में लिए गए टैस्ट के आधार पर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में स्टाफ कार चालकों के सदृश पद पर तैनात कार्मिक अथवा समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारी जो पांच वर्ष की निर्धारित सेवा पूरी कर चुके हों तथा कालम 8 में निहित अर्हताएं रखते हों। **टिप्पणी 1 :** फीडर श्रेणी के ऐसे विभागीय कर्मचारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हों, प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मचारी भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2 :** केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13		14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, स्थाई करने के लिए		लागू नहीं।
1. भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार	—अध्यक्ष	
2. उप निदेशक (प्रशासन) अथवा अवर सचिव (प्रशासन)	—सदस्य	
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	

[फा. सं. ए-16011/5/2000-प्रशा.-II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

103

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

New Delhi, the 29th August, 2005

G.S.R. 300.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General and ex-officio Census Commissioner for India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Staff Car Driver) Recruitment rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulation the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver Special Grade, Staff Car Driver Grade-I, Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver Ordinary Grade in the Office of the Registrar General, India as well as the Offices of the Director of Census Operations in the States and Union Territories, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Staff Car Drivers Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005.

2. **Application.**—These rules shall apply to the Posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit , educational qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Staff car Driver Special Grade	2* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) rules, 1972.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
No	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver Grade-I with three years' regular service in the grade

If a Departmental Promotion Committee exists, What is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— 1. Joint Registrar General, India —Chairman 2. Deputy Director (Administration) or Under Secretary (Administration) —Member 3. A Group 'A' Officer of another Central Government office —Member	Not applicable.

1	2	3	4	5
2. Staff Car Driver Grade-I	15* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000	Non-selection

6	7	8
No.	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver Grade-I I with five years' regular service in the grade.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— 1. Joint Registrar General, India —Chairman 2. Deputy Director (Administration) or Under Secretary (Administration) —Member 3. Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member	Not applicable

1	2	3	4	5
3. Staff Car Driver Grade-II	12* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000—6000	Non-selection

6	7	8
No	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	Promotion	**Promotion :** Staff Car Driver Ordinary Grade with eight years' regular service in the grade.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— 1. Joint Registrar General, India —Chairman 2. Delputy Director (Administration) or Under Secretary (Administration) —Member 3. A Group 'A' Officer of another Central Government office —Member	Not applicable

1	2	3	4	5
4. Staff Car Driver Ordinary Grade	15* (2005) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80 4590	Not applicable

6	7	8
No.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba Distric of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2.** The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employement Exchange shall be the last date to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential :** (i) Possession of a valid driving license for Motor Cars. (ii) Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for at least five years. **Desirable :** A pass in the 8th Standard.

9	10	11	12
Not applicable	Two years (for direct recruits only).	Deputation of absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation/Absorption :** On the basis of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of staff car from officials holding the analogous posts or Group D employees in the organization of Registrar General, India with at least five years' regular service and possessing the qualifications prescribed in column 8. **Note 1.** The Deparmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.** Period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post hild immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.** The maximum age limit for appointment by deputation should not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :— (For Confirmation)	Not applicable.
1. Joint Registrar General, India —Chairman	
2. Deputy Director (Administration) or Under Secretary (Administration) —Member	
3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member	

[F. No. A-16011/4/2000-Ad. II]
D. S. SAINI, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (डाइलाइजर प्रचालक) भर्ती नियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जवाहरलाल स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में डाइलाइजर प्रचालक/डाइलाइसिस प्रचालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (डाइलाइजर प्रचालक/डाइलाइसिस प्रचालक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
1	2	3	4	5
1. डाइलाइजर प्रचालक/ डाइलाइसिस प्रचालक	3* (तीन) (2005) *कार्यभार के के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रुपये	लागू नहीं होता

Staff Car Driver

108

रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 3] नई दिल्ली, जनवरी 14—जनवरी 20, 2007, शनिवार/पौष 24—पौष 30, 1928
No. 3] NEW DELHI, JANUARY 14—JANUARY 20, 2007, SATURDAY/PAUSA 24—PAUSA 30, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 7.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशक का कार्यालय, स्टाफ कार ड्राईवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 के नियम 1 में, उप नियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।"

[फा. सं. ए-16011/4/2000-प्रशा.-II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

(स्पष्टीकारक टिप्पणी : 10 सितम्बर, 2005 को प्रकाशित मूल भर्ती नियम के "संक्षिप्त शीर्षक और प्रवृत्त होना" से संबंधित प्रवृत्त खंड के पैरा 1 के उप-पैरा 2 के रूप में अनवधानता से नहीं जोड़ा गया था । यद्यपि नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार अधिसूचित किए गए थे अत: राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे । यह संशोधन 10 सितम्बर, 2005 को प्रकाशित भर्ती नियमों को उक्त तारीख से लागू करने के लिए जारी किया गया है । एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ।)

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 29-08-2005 के सा.का.नि. सं. 300 द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) में 10 सितम्बर, 2005 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 9th January, 2007

G.S.R. 7.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Staff Car Drivers Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Staff Car Drivers Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories, Staff Car Drivers Group 'C' Post Recruitment Rules, 2005, in rule 1, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely .—

"(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.".

[F. No. A-16011/4/2000-Ad. II]

D. S. SAINI, Under Secy.

(Explanatory Note : The commencement clause was not inadvertently inserted as sub-para 2 in para 1 relating to "Short title and commencement" of the principal Recruitment Rules, published in 10th September, 2005. Though the rules notified as per article 309 of the Constitution shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette. This amendment is issued to make the recruitment rules published on 10th September, 2005 applicable from the said date. It is hereby explained that no person is adversely effected due to this amendment).

Note : The Principal Rules were published on 10th September, 2005 in Part II, Section 3; sub-section (i) of the Gazette of India vide No. G.S.R. 300 dated the 29-8-2005.

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 8.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय, भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय, भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 होगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों का कार्यालय, भूगोलवेत्ता/मानचित्रकार समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में :

कालम 13 में दी गई विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु)

1. भारत के महारजिस्ट्रार	--अध्यक्ष
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार/भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार	--सदस्य
3. उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र)/सहायक महारजिस्ट्रार (मानचित्र)	--सदस्य"

[फा. सं. ए-12032/11/99-प्रशा.-II]

डी.एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 13 अप्रैल, 2002 के सा.का.नि. 117 द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।